लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था 2/अ/पदो./15/2009-10/24 भोपाल, दिनांक 5-1-2011

//आदेश//

शिक्षक/प्रधान अध्यापक माध्यमिक विद्यालय पद से व्याख्याता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति हेतु सम्पन्न पुनरीक्षित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.01.09 में निम्नलिखित लोक सेवक की विभागीय जांच प्रचलित होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा को बंद लिफाफे में सुरक्षित रख लिया गया था । विभागीय जांच में दोषमुक्त होने के उपरांत बंद लिफाफे की अनुशंसा को खोला गया जिसमें विभागीय जांच बिना शास्ति/दण्ड से दोषमुक्त होने के फलस्वरूप समिति द्वारा पदोन्नति प्रदान करने की अनुशंसा की गई हैं, उक्त के अनुक्रम में शिक्षक/प्रधान अध्यापक माध्यमिक विद्यालय को विषयमान से व्याख्याता उ.मा.वि. के पद पर वेतनमान रू. 5500-175-9000 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है ।

2/ संचालनालय की एकल नस्ती पर दिनांक 21.12.2010 को दिये गये प्रशासकीय अनुमोदन के अनुक्रम में पदोन्नत लोक सेवकों को उनके नाम के सम्मुख कालम कमांक-8 में अंकित पदांकित संस्था में पदस्थापना तत्काल प्रभाव से की जाती हैं :-

स. क्र.	शिक्षक संवर्ग की वरिष्ठता तिथि	यूनिक एम्पलाई कोड नं.	लोक सेवक का नाम पद एवं कार्यरत संस्था	जिला	विषय	प्रवर्ग	पदांकित संस्था का नाम	पदांकित संस्था का डाइस कोड
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06/01/81	AR3883	श्री एम.डी. शर्मा, प्रअ, शा. मावि चिन्नौनी चम्बल	मुरैना	संस्कृत	सामान्य	शा.उत्कृष्ट उ.मा. वि. जौरा जिला मुरैना	23020477703

3.1 **उपरोक्त पदोन्नति निम्नांकित शर्तो के अधीन रहेगी :-**

3.2 यह पदोन्नति आदेश छूटे हुये पदोन्नति प्रकरणों के संबंध में है ऐसी स्थिति में पदोन्नत शिक्षकों को उनसे कनिष्ठ शिक्षको के पदोन्नति आदेश दिनांक 17.09.2006 से "काम नहीं दाम नहीं" के सिद्धांत के आधार पर पत्र वरीयता के रूप में देय होगी । व्याख्याता पद पर इनका नोशनल-पें-फिक्सेशन उक्त दिनांक से मान्य होगा। व्याख्याता पद का वास्तविक लाभ इन्हें पद पर इस आदेश के आधार पर कार्यभार ग्रहण दिनांक से ही देय होगा।

3.3 उपरोक्तानुसार पदोन्नत व्याख्याताओं को पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि पदोन्नत होने वाले शिक्षक के विरुद्ध किसी प्रकार के अपराधिक प्रकरण/विभागीय जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही या ऐसी शास्ति जो उनकी पदोन्नति प्रभावित करती हो तो उन्हें पदोन्नत पद के लाभ हेतु भारमुक्त न किया जाकर संचालनालय को तत्थात्मक प्रतिवेदन अपने अभिमत सहित तत्काल उपलब्ध करावें।

3.4 पदोन्नत लोक सेवक के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख संबंधित के सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें कि जिस विषय में व्याख्याता पद पर पदोन्नत किया गया है वह उस विषय में विभागीय अनुमति प्राप्त कर स्नातकोत्तर योग्यताधारी होना चाहिए तथा जिस प्रवर्ग से पदोन्नत हुआ है उसी प्रवर्ग का सदस्य होना चाहिए । इसके अतिरिक्त उनकी वरिष्ठता तिथि पदोन्नति आदेश में अंकित वरिष्ठता दिनांक के अनुरुप ही होना चाहिए।

3.5 पदोन्नत लोक सेवक के सेवा अभिलेख से इस बात की पुष्टि कर ली जायें कि वे सभी शिक्षक/प्र.अ. मावि पद पर ही कार्यरत हैं और उनकी पदोन्नति उच्च श्रेणी शिक्षक की वरिष्ठता के आधार पर ही हुई हैं ? अन्य पद की वरिष्ठता से इस पदोन्नति का कोई संबंध नहीं हैं।

3.6 पदोन्नत लोक सेवक के सेवा अभिलेख से यह भी पुष्टि कर ली जाए कि वह स्कूल शिक्षा विभाग का ही शिक्षक है। अन्य विभाग यथा आदिम जाति कल्याण विभाग/तकनीकी शिक्षा विभाग आदि के तो नहीं परंतु यदि स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के परस्पर हस्तांतरण संस्थाओं के लिए म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश कमांक एफ–44–27/94/20–2 दिनांक 03.01.06 के अंतर्गत विभाग में मूल वरिष्ठता सहित संविलियन किया गया है और पदोन्नत किया गया है, तो वह पदोन्नति का हकदार होगा तथा उसे कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। आदिवासी विकास विभाग से शिक्षा विभाग में जिन लोक सेवकों का संविलियन किया गया है उनकी वरिष्ठता की पुष्टि उनके सेवा अभिलेख एवं सुसंगत संविलियन आदेशों से कर ली जावें । ऐसी विसंगति की स्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावें ।

3.7 ऐसे लोक सेवक का अर्न्तविभागीय स्थानान्तरण हुआ हो तो उन शिक्षकों की वरिष्ठता शिक्षा विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मान्य होगी। यदि किसी पदोन्नत लोक सेवक के संबंध में उपरोक्त शर्त की पूर्ति नहीं होती है तो उनकी पदोन्नति निरस्त करने संबंधी प्रस्ताव अभिलेखित साक्ष्य सहित संचालनालय को भेजा जावे ।

3.8 पदोन्नत लोक सेवक द्वारा पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो 24 वर्ष पश्चात् मिलने वाली कमोन्नति का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ–1–1/1/वेआप्र/99 दिनांक 05 जुलाई 2002/23 सितंबर 2002 के प्रकाश में प्राप्त नहीं होगा ।

3.9 पदोन्नत व्याख्याता दिनांक 10 जनवरी 2011 तक अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति पदांकित संस्था में व्याख्याता पद पर देंगे।

3.10 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ 7–18/2005/आ0प्र0/एक, दिनांक 05.08.05 एवं 17.08.05 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि कीर, मीना एवं पारधी जाति को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची से हटा दिया गया है । अतः संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख उक्त के प्रकाश में संबंधित के अभिलेख से पुष्टि कर लें तभी पात्र पदोन्नत लोक सेवकों को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावें ।

3.11 पदोन्नति का परित्याग करने पर भी पदोन्नत शिक्षक/प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय को नवीन पदांकित संस्था में ही व्याख्याता के रुप में कार्यभार ग्रहण करना होगा । किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन नवीन पदस्थापना वाली संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही विचार किया जायेगा ।

3.12 पदोन्नति समिति द्वारा म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के राजपत्र दिनांक 11 जून 2002 में दिये गये मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 में उल्लेखित आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्रमांक / स्था.2 / अ / पदों. / 15 / 2009–10 / 25

भोपाल, दिनांक 5-1-2011

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. कलेक्टर जिला मुरैना मध्यप्रदेश ।
4. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला मुरैना मध्यप्रदेश ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा जिला मुरैना मध्यप्रदेश ।
7. जिला कोषालय अधिकारी जिला मुरैना मध्यप्रदेश ।
8. प्राचार्य शा.उ.मा.वि. जौरा मुरैना मध्यप्रदेश ।
9. संबंधित श्री एम.डी. शर्मा, प्रअ, शा. मावि चिन्नौनी चम्बल जिला मुरैना मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश